


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर)</b>  सू.अ.अपील संख्या 21 / 2023</p>	<p>न. व तारीख  अहकाम जो  इस हुकम की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>06.02.23</p>	<p>अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कलां, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 में उसके द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद 052213612584751 दिनांक 11.05.2022 में सीमांकन करवाने का निवेदन किया गया। उक्त परिवाद के प्रत्युत्तर में बताया गया कि तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण खसरा न. 38 व 39 का सीमांकन कर पुलिस थानाधिकारी को सीमांकन कर बता दिया गया था। उक्त सीमांकन रिपोर्ट से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   (हिमान्शु गुप्ता)  जिला कलक्टर जोधपुर  <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</b> </p>	